संख्या–921 / 60–1–14–1 / 13(92) / 06 टी0सी0

प्रेषक,

नन्दलाल प्रसाद ,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास विभाग,
उ0प्र0 शासन।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः: दिनांक 20 मई,2014

विषयः– उ0प्र0 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के संचालन हेतु कार्यालय भवन के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के कम में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 17 (1) के तहत प्रदेश में राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग के गठन, कर्मचारियों की नियुक्ति, कार्यालय की स्थापना कर आयोग को कियाशील करने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से अनुपालन आख्या दाखिल की गयी है। आयोग के कार्यालय हेतु ईको गार्डेन अम्बेडकर मैदान जेल रोड, स्मारक स्थल प्रशासनिक भवन और बौद्ध स्मारक प्रशासनिक भवन अम्बेडकर मैदान जेल रोड में रिक्त है। उक्त तीनों शासकीय भवन रिक्त है, जिसमें से किसी भी एक भवन में आयोग का कार्यालय स्थापित किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में निदेशक, महिला कल्याण के पत्र दिनांक 17.04.2014 द्वारा भी अनुरोध दिया जा चुका है (प्रति संलग्न)।

2– इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि उक्त तीनो भवनो में से किसी एक भवन को राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग को आवंटित करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या–921(1) / 60–1–14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– राज्य सम्पत्ति अधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, महिला कल्याण , उ0प्र0, लखनऊ।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।